

Monthly Organ of All India Bank Employees Association

web site: www.bankflag.in

VOL XXV No. 16 December 2020 23 Pages

Contents

Editorial	01
Farmers' Protests Against New Farm Law through The Lens	02
General Secretary's Desk	03
11th Bipartite Settlement	
 Govt. clears implementation of wage settlement 	04
11th BPS - Benefits	
 Gross Salary, Gross Increase, Gross Arrears 	04
 Improvements in post-Retirement benefits under 11th BPS 	04
Organisational News	
AIBEA's Social Media Team	05
On farmers' Struggle	
 let us continue our support to the struggle of farmers 	07
News on Banking	
 Donation of LVB to DBS-looks Dubious 	07
Viewpoint	
 Chance for all to unite and reclaim rights By Prof. Amit Bhaduri 	09
 The Grapes of Wrath By Anup Sinha 	11
अभिमत	
 रोजगार के अनियमित रूपों को समाप्त किया जाए एच महादेवन 	13
BPBEA's Social Activity	

Bpbea's Scholarship To Needy Studednts 22

EDITORIAL

wenty twenty draws to a close. The year is a bagful of sorrow, miseries, deaths on roads, on railway track by speeding train, normal activities were locked and came to a halt. Overnight crores of employees lost their jobs. The epidemic named Corona, a dreaded disease left the Govt in a state of fix. Unplanned and unscientific approach made the situation worse. Hospitals were flooded. More than lakh of people have fallen victim to this epidemic. Worst affected were the migrant workers. The unfortunate situation they had to face. the migrant workers were in a desperate bid to return homes .Unfed and uncared, many lost their lives on roads, on railway tracks- the tragedy that made 2020 impossible to forget. Economy limping since the days of de-monetisation is in a state of Coma. Govt does not listen to the advices of the Economist. There is no job creation. Since consumption is static or going down, there is no investment and no job creation despite big boast of stimulus package. During this pandemic situation Govt hurriedly passed labour code bills without any consultation or meaningful debate in the parliament. In the name of reforms the Govt has brought three farm laws. Agricultural sector is being handed over to the Corporate. Farmers' organizations, political parties opposed the bills since it will endanger the food security. Farmers have taken the battle to the streets demanding annulment of the law. Since one month the farmers have blocked the roads to Delhi. Farmers have received wide spread support from Canada, USA, UK. Govt is unrelenting. Govt is handing over the rural economy to private hands. Every important segment of our economy is being privatised. Corporate Sector is going to be allowed to open Banks. Noted economists, former Governor of RBI have objected. The interconnectivity between banks and corporate may bring disaster as it happened in 1997 in South East Asian countries.

Much awaited Eleventh Bi-partite settlement has been signed on eleventh November.

FARMERS' PROTESTS AGAINST NEW FARM LAW --THROUGH THE LENS



Letter written by blood sent to PM Narendra Modi



Inquilab Zindabad



Hunger strike



No to new farm law



We shall overcome



Binoy Vishwam , the CPI MP with the protestors making chapatis



In solidarity



Police attacking the peaceful marchers



Protest rally in support of the farmers



I am also here with you

GENERAL SECRETARY'S DESK

Resolve to struggle

s we are at a fag end of the outgoing year 2020, we bid farewell to the year under exit and welcome the new year with the hope that things would be better in the year ahead.

This corona pandemic in the last couple of months has given us a lot of experience. Corona pandemic started as a medical challenge but it soon became a full-fledged economic challenge. Neither the medical challenge is over nor the economic challenges overcome.

Corona pandemic - It has exposed the inadequacies of health system in our country. It has exposed the vulnerability of the social system in protecting the poor masses. It has exposed the class bias of the economic system. It has revealed that in neo-liberal economy, anything and everything is business as usual i.e. PROFIT FIRST — MAN NEXT. Trade Unions have been demanding enlarged allocation for health and education. But in the name of deficit adjustment, the allocation has been getting reduced. And, we have seen the result of it, during this pandemic, private health care become pure commerce and the entire pressure fell on public health system.

We have also observed that the pandemic was also used to exploit the masses. Their jobs were lost, wages denied and livelihood affected. The lesson and experience during this pandemic period only reinforces the need to intensify our struggle against the cruel exploitative policies.

We also see the Government using these times to push through their retrograde reform policies. Hence working class has to fight on all fronts, a task that cannot be underestimated. Hence the importance of the leading role of trade unions in this scenario.

We are proud that AIBEA is completing 75 long years of glorious existence, full of struggles, achievements and experiences. The rich legacy and history is behind us. It is for this precise reason that AIBEA is expected to play a crucial role in the emerging period. We can legitimately feel proud that we have played our due role.

Shall we sit and relax on our past laurels or shall we move forward to intensify our struggles is the moot question before us. Obviously we need to move forward with our struggles and endeavors. This is the pledge that we all have to take when we celebrate the 75 Years of AIBEA.

LET THIS BE OUR NEW YEAR RESOLVE

C.H. Venkatachalam

11TH BIPARTITE SETTLEMENT

Govt. clears implementation of wage settlement

[We reproduce hereunder the Joint Circular issued by UFBUon 18/12/2020]

After the signing of the 11th Bipartite Settlement with Workmen Unions and Joint Note with Officers organisations on 11-11-2020, Indian Banks' Association had referred the matter to the Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India for their approval and clearance to go ahead with the implementation.

While our Settlement for the Workmen is signed under the provisions of Industrial Disputes Act, for Officers, the same is covered by Officers Service Regulations. Similarly, for those who have retired after November 2017, their pension has to be revised based on revised payscales and the Pension Regulations have to be amended. Hence specific approval of the Government is required to implement the Joint Note on an adhoc basis pending amendment to the OSR as well as pension payments pending amendment to Pension Regulations.

Since there was delay in getting the approval, we had taken up the matter with Mr. Rajkiran Rai, Chairman, IBA on 10th December, 2020 when we met him for signing the Minutes on pending issues and the Corrigendum Settlement. IBA Chairman assured that he would personally follow up the matter with the Government and IBA would endeavour to implement the Settlement without further delay.

Today evening, we are happy to be informed by IBA that the approval and clearance from the Government has since been received by them and that they would advice all the Bank tomorrow (19-12-2020) to proceed with the implementation of the Settlement, i.e. payment of arrears to the employees and revised emoluments under the new pay scale and allowances. Thus decks are cleared and all the Banks can now implement the Settlement.

11TH BPS - BENEFITS

Gross Salary, Gross Increase, Gross Arrears

NEW SUBSTAFF WHO JOINED IN NOV. 2017

	Metro	Rural
GROSS SALARY IN NOV. 2020	25,450	25,450
GROSS INCREASE IN NOV. 2020	3,300	3,600
GROSS ARREARS UPTO NOV. 2020	1,02,900	1,12,000

SUBSTAFF / DAFTARY AT MAX.

	Metro	Rural
GROSS SALARY IN NOV. 2020	60,400	60,400
GROSS INCREASE IN NOV. 2020	9,050	9,650
GROSS ARREARS UPTO NOV. 2020	3,02,000	3,25,000

NEW CLERK WHO JOINED IN NOV. 2017

	Metro	Rural
GROSS SALARY IN NOV. 2020	36,800	36,800
GROSS INCREASE IN NOV. 2020	4,750	5,130
GROSS ARREARS UPTO NOV. 2020	1,43,300	1,56,100

SENIOR CLERK/SPL. ASST AT MAX.

	Metro	Rural
GROSS SALARY IN NOV. 2020	112,700	112,700
GROSS INCREASE IN NOV. 2020	16,500	17,600
GROSS ARREARS UPTO NOV. 2020	5,51,800	5,95,000

Improvements in post-Retirement benefits under 11th BPS

In every Bipartite Settlement, AIBEA has been endeavouring to achieve improvements in wages, service conditions and retiral benefits. In the 11th Bipartite Settlement also, we have adopted the same approach. Besides increased wages and improvements in service conditions, there would be improvement in retirement benefits also.

Broadly, retirement benefits cover Pension/Commutation or NPS, Gratuity, Employees' Contribution to PF and Encashment of Privilege Leave in credit. Due to this Settlement, there will improvement in all the retirement benefits.

For the young employees, the management's

contribution to NPS is being enhanced to 14% thus adding to the corpus in their NPS account.

For the senior employees, stagnation increment has been improved which will add to their pension benefits and increase in Commutation amount. It is important to remember that since the Settlement cost is on Pay slip components, the additional cost of these benefits are over and above the same.

Monthly Own Contribution to PF by employees:

	10 th BPS	11 th BPS	Increase Per month
Senior Substaff/ Daftary at max.	Rs. 2435	Rs. 3800	Rs. 1365
Senior Clerk/ Spl. Asst. at max.	Rs. 4596	Rs. 7180	Rs. 2584

Monthly Contribution by Bank under NPS: (Govt. approval awaited)

Example – Nov. 2020	Under 10 th BPS 10% On BP+DA	Under 11 th BPS 14% On BP+DA	Increase in Bank's contribution Per month
Substaff – in Basic Pay Stage 1	Rs. 1739	Rs. 2515	Rs. 776
Substaff – in 10 th Stage	Rs. 2348	Rs. 3395	Rs. 1047
Clerk/SWO – Basic Pay Stage 3	Rs. 2378	Rs. 3451	Rs. 1073
Clerk/SWO – Basic Pay Stage 10	Rs. 3477	Rs. 5040	Rs. 1563
SWO/Grad/CAIIB in 15 th Stage	Rs. 4480	Rs. 6498	Rs. 2010

Gratuity: (Retirement in Nov. 2020)

	As per 11 th BPS
Senior Substaff/ Daftary at max.	Rs. 11,08,500
Senior Clerk/ Spl. Asst. at max.	Rs. 20,00,000

Commutation (Retirement in November, 2020)

	As per 11 th BPS
Senior Substaff/ Daftary at max.	Rs. 7,65,000
Senior Clerk/ Spl. Asst. at max.	Rs. 14,47,000

Monthly Pension (After Commutation) (Nov. 2020)

	As per 11 th BPS
Senior Substaff/ Daftary at max.	Rs. 17,050
Senior Clerk/ Spl. Asst. at Max.	Rs. 32,250

Improvement in Family Pension

(Govt. approval awaited)

(upon unfortunate death of the pensioner)

Family Pension in Dec. 2020 (Govt. approval awaited)	Existing as per 10 th BPS	To be revised as per 11 th BPS	Increase per month
Family of Senior Substaff retired in 2020 and died recently	Rs. 8,444	Rs. 13,460	Rs. 5,016
Family of Senior Clerk retired in 2020 and died recently	Rs. 11,188	Rs.23,855	Rs. 12,667

Encashment of Privilege leave (Example: Retirement in Nov. 2020)

Encashment of 240 days PL (Max. permissible)	Under 10 th BPS	Under 11 th BPS	Increase
Senior Substaff/ Daftary	Rs. 4,10,000	Rs. 4,83,000	Rs. 73,000
Senior Clerk/ Spl. Asst.	Rs. 7,68,000	Rs. 9,00,000	Rs. 1,32,000

Under 11 th BP	Senior Substaff / Daftary at	Senior Clerk /Spl. Asst. at
Settlement	Max. retired in Nov. 2020	Max. retired in Nov. 2020
Gratuity	11,08,500	20,00,000
Commutation	7,65,000	14,47,000
PL Encashment	4,83,000	9,00,000
	23,56,500	43,47,000
Own Contribution to PF	Balance at Credit + Int	Balance at Credit + Int
Monthly Pension + DA	17,050	32,250

ORGANISATIONAL NEWS

AIBEA's Social Media Team

For any organization, especially for a massive trade union organisation like AIBEA with a large membership spread in all the Banks and all over the country, communication becomes the vital link between the rank and file and the leadership of the organisation. The organizational activities will be more live and alive if the communications are effective and timely.

AIBEA's operative ability to communicate with the units and membership is one of the reasons for its admirable capacity to mobilise and organise successful struggles. Even in the formative years of 1940s and 1950s, communication was the main tool in developing, strengthening and expanding the organisation.

Over the years, we have improvised and improved our communication channels to reach our members. But in recent years, thanks to the explosion and revolution in communication technology, things have changed very vastly and new and modern communication tools have to be operative. We also need to adopt to these

changing tools.

While certain measures have been taken to update our communication methods, the fact remains that looking to the speed with which these changes are taking place, we are lagging behind in terms of that speed and pace. This results in communication gap and AIBEA's messages are not fully going down the line, especially amongst the new generation employees who are comfortable only with new communication methods.

This gap is being misused by vested interests, inimical forces and anti-AIBEA elements to create misinformation and unleash systematic false propaganda. These elements became more active during the recent negotiations for wage revision. Today, with the signing of the 11th Bipartite Settlement with various benefits, this has exposed their negative propaganda. But it has been our experience that our inadequacies in our latest communication channels have given a room for these mischievous elements to play with our members.

Recently, Office Bearers of AIBEA had a detailed discussion in this regard and it has been decided that AIBEA will form social media team both at the national level as well as in each State-level. These teams shall consist of our young brigade of cadres who are well-versed in supplementing the communication tools of the organisation and who will work as special squads to handle our social media platforms.

Recently we held a meeting of these young comrades from different States and they have given their suggestions on how to enhance our communication channels in the present context of social media platforms overtaking the traditional communication methods.

They also brought to our attention as to how certain anti-trade union and anti-AIBA elements are misusing social media to denigrate trade unions and UFBU, undermining the leadership of unions, underestimating the significance of collective bargaining and bilateralism, and indulging in deliberate propaganda through false information, and injecting disaffection in the minds

of innocent members, making wanton and disparaging comments on leaders, etc.

They pointed out that AIBEA has been their main target denoting that all these vicious attempts are at the behest of anti-AIBEA demagogs. Many of them disguise themselves in spurious names and creating fake social media accounts thus exposing their cowardice and spinelessness. These elements also need to be tackled to prevent our members from being misled due to ignorance of facts and lack of correct information.

We were highly benefitted by their positive and constructive suggestions to effectively enhance our communication methods compatible with the present-day requirements and it was encouraging and reassuring to note their readiness and willingness to extend their services to AIBEA in this regard.

Based on these views and suggestions it has been decided to build up our SOCIAL MEDIA TEAM as under:

- 1. Apex Core Team
- 2. 60 Member National Social Media Team
- State-level Core Team
- 4. 500 Member Statewise Social Media Team
- 5. Bankwise Social Media Teams

Apex Core Team will be formed by AIBEA Office Bearers. National Team will consist of names nominated by State Federations. State Federations have to form their Core Team (3 to 4 members) in each State and also form Statewise Teams (10 to 40 members). Similarly bankwise Unions may form their social media teams at their level.

Informed members will become committed members. Committed members will become cadres. These cadres will blossom into leaders. Hence information and communication are part of our core activities.

In this task, our young members are our assets and they will play their role.

ON FARMERS' STRUGGLE

Let us continue our support to the struggle of the farmers

AIBEA has already expressed its support to the justified struggle of the farmers. Our units had expressed their solidarity on 8 December, 2020 when they observed Bharat Bandh. Instead of resolving the issue, the Govt is dilly-dallying the matter. But the farmers are determined and are continuing thei struggle. Their struggle has received wide support within the country & out side the country as well. We reiterate our support to the struggle of farmers. Herein we reproduce the Joint Press Statement issued by Joint Platform of Central Trade union & Sectoral Federation/Associations of which we are also a part.

Press Statement

The Joint Platform of Central Trade Unions reiterate rock-like solidarity with the Farmers' United Struggle

After the successful Bharat Bandh on 8th December called by the Farmers jointly, the Central Government cannot call this a "Punjab question" any more. Invitation by Home Minister, Shri Amit Shah to Farmers' representatives from Punjab as well as from other states, is an acceptance of this fact.

The Joint Platform of Central Trade Unions and Independent Sectoral Federations/Associations are closely following the machinations of the Centre, such as planting alleged NIA reports of instigation by SJF from Canada, alleged letter bearing lakhs of signatures of the Haryana Farmers backing the Agri-laws, offer to amend laws and many other such deceitful diversionary tactics have failed to make any headway against the demand to repeal the three Agri-laws that itself has become a material force.

The Joint Platform of Central Trade Unions and Independent Sectoral Federations/Associations reiterate their wholehearted support to the ongoing united struggles of the farmers demanding scrapping of draconian Agri-laws, Electricity (Amendment) Bill 2020 and legislation guaranteeing MSP.

We have once again received letter from the Samyukta Morcha of Kisans for their appreciation of continued support from the Central Trade Union organisations for their justified struggle. They have informed us the next phase of their action programmes with request to extend support.

The Samyukta Morcha of farmers' organizations has decided the following action programmes;

From 12 December to block the Delhi- Jaipur National Highway.

From 12 December to open Toll Plazas throughout the country.

State/local level actions of the farmers on 14th December 2020.

Boycott the Products of Ambani and Adani like Jio, Reliance Malls, Adani Fresh etc.

The Joint Platform of CTUs and Sectoral Federations/Associations call upon the workers, employees and their unions, irrespective of affiliations, to be ever vigilant and extend our active solidarity to the call of Farmers' Joint Struggle in the coming crucial period.

INTUC AITUC HMS CITU AIUTUC TUCC SEWA AICCTU LPF UTUC And Sectoral Federations/Associations

NEWS ON BANKING

Donation of LVB to DBS - Looks dubious

The drama is over: For the past 3 years, the 94 years old, Tamilnadu based old generation private sector Bank, Lakshmi Vilas Bank has been facing some problems and incurring losses. For 90 years, the Bank was making profits but the recent problems are due to loans given to some high-ticket borrowers like Religare, Jet Airways, Cox

and Kings, Nirav Modi group, Coffee Day, Reliance Housing Finance, etc. Instead of taking remedial measures, the RBI used its powers to declare moratorium on the 17th November, 2020 and within an hour, announced its intention to hand over the Bank to the Singapore based DBS Bank India Ltd. In quick time, the Cabinet also approved it and LVB has now become DBS.

Failure of a private Bank is not a surprise, But...: In the past also, many private Banks have collapsed and failed. Most of these Banks have been merged with public sector Banks and people"s Deposits have been safeguarded. In AIBEA we are especially proud because the amendment to Section 45 of the Banking Regulations Act in 1961 was made only due to the struggle and efforts of AIBEA. This has ensured that no Bank in India can be closed down and Depositors will not lose their money. Going by the past experience, we can expect that in future also, some private bank or the other may meet the same fate. Hence failure of a private Bank is no surprise to us. But the circumstances, the inaction of RBI, the speed with which the RBI announced its decision to donate this Bank to the foreign controlled DBS, the immediate clearance by the Government – all these are no doubt a matter of surprise.

What was wrong with LVB: Everyone knows that the only problem faced by LVB was that some big loan accounts turned NPA. All these borrowers were already known as delinquents and yet why such a small Bank like LVB gave so much of loans to them is a matter of intrigue. Was not RBI aware of this? RBI nominees are on the Board of LVB. What were they doing? RBI inspection and audit are regularly taking place. Why these decisions were not questioned and stopped in time by RBI ? All these episodes have taken during the period of recent appointees of RBI as MD/CEO of LVB. What happened to the "fit and proper" norms while appointing them? How and why RBI chose them to be appointed? Why no action has been taken on these erring top officials? Why RBI is silent on this? Is not strange that a person chosen by RBI was rejected by the Shareholders of the Bank? All these questions remain unanswered.

Was no one willing to take over LVB? Few months ago, when the YES Bank was in troubled, the SBI came in to rescue that Bank. It is understandable because Government's decision was in public interest. But, in the case of LVB, it is not a very big

Bank, its business volume is not that huge. Its losses were also not that huge. Its capital requirements were also not so much. Then why no efforts were taken to merge LVB with a public sector Bank, which are already in the process of consolidation and amalgamation. Why RBI did not think it proper to recommend the merger of LVB with the Government Bank? Why even some of the private Banks or even some private Corporates not considered fit for the takeover of LVB? Was it that such offer or suggestion was mooted to them and did they reject it? When the RBI is so much enamored of the efficiency of private banks, why any of the private sector entity not given the chance?

Why DBS, What is so special? Naturally question arises as what is so special about DBS Bank? Why it has been favoured like this? First of all, may be because of the losses, the capital was negative in LVB. But the Bank has so many other Assets. Have they been properly valued? The Bank has Deposits of Rs. 21,000 crores and lacs of very good customers. The Bank has also earned its reputation over all these years. It has its own brand value. Can it be overlooked? LVB has 550 Branches and about 900 ATMs? This is huge readymade infrastructure. Whether RBI has evaluated all these?

DBS Bank has only 35 Branches in India now. Does RBI branch expansion policy permit this huge expansion overnight for a foreign Bank? What about the retail investors of LVB? Can they be left in the lurch in this fashion? In the case of PMC Bank In Mumbai, for months together the Bank is under moratorium. RBI has not shown any urgency. But in the case of LVB, within minutes, RBI announced that LVB will handed over to DBS. Has RBI become so efficient? How within minutes DBS Bank had agreed to take over the LVB? Or was it informed earlier itself? Will it be wrong if someone alleges match- fixing? What happened to Make in India? What happened to Aatmanirbhar? Why RBI decided that the foreign controlled DBS Bank alone can salvage LVB?

Many many questions remain unanswered. We know RBI has so much of powers. But we are in India, a democratic country. Transparency and public accountability cannot become such a casualty. "we, the people of India" deserve to know the details. RBI cannot escape its culpability. That is why we demand a parliamentary probe into the whole issue.

Chance for all to unite and reclaim rights

Prof. Amit Bhaduri

(The author is a renowned Economist)

The decisive Battle of Plessey that gave the foothold in India and established its rule was lost not for lack of battlefield valour but because of the treachery of a military general.

An African saying warns: "An army of sheep led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep."

The truth behind this saying is wider, and covers not only battlefields but many modern governments and democratic leaders. A wrong leader a toxic ideology, foolish ambition or a false sense of grandeur can play havoc, cause unimaginable damage in a very short time. And then the country would take a long time to recover, if at all.

Examples abound in history. Hitler and Mussolini are still not too distant in memory. The irony of Stalin's rule was that the Red Army defeated the Nazis but, at the same time, his policy of purges left the independent communist parties of Eastern Europe crippled, from which they never quite recovered.

It is now well documented that toxic policies promoted by the International Monetary Fund and embraced by its market-fundamentalist leaders sent Argentine, a country of vast natural resources, begging before the world.

Delusion combined with a toxic ideology is a recipe for disaster in any country. A negative rate of growth, an unprecedented recession and massive unemployment coexisting with a soaring stock market combined with such ideological priorities as banning cow slaughter and building a Central Vista to show the historic importance of a leader have been foretelling such a disaster.

But we work up to the fact that the monster was at the door only when the farmers of the country showed us the mirror. If you have not already deposited all your intelligence to the expert discussions and images of the mainstream media, you might ask, like in the fairy tale; "Mirror, mirror on the wall, show me who is behind it all". And the mirror would show not the obvious faces off the two most powerful politicians (both from Gujarat) of the ruling party in power., but two other faces, the two richest businessmen (again, both from Gujarat) o the country. No prize for guessing who they are. Both have been long time cronies of the current leader from his days as the chief minister of Gujarat.

However, it's not merely "crony capitalism" that we are talking about. The three farm laws recently passed hastily in a moribund Parliament are no exception to the trend already set in a way. The government has done it repeatedly but the trend started earlier with blitzkrieg attacks that gave the public no time to react.

It started with the guerrilla attack of demonetisation and then the strategically bad implementation o the GST to weaken petty and small businesses and the states in our federal financial structure.

This was followed by the violent uprooting of the lives and livelihoods of migrant workers with the imposition of a most severe lockdown at four hours' notice.

There was disquiet, discomfort and distress, but the public response was still not one of outrage. The illusion of the government fighting against black money (forget the promise of Rs. 15 lakh in every Indian's bank account) and valiantly imposing a lockdown against the looming pandemic still had some credibility with the trusting public.

But soon we all could not but see how the pandemic was being used as a cover to hollow out from within the essence of parliamentary democracy. A series of anti-labour and procorporate labour laws were passed, virtually without any prior notice or discussion.

Now the government has adopted the calculated move of bringing the three farm laws into effect, fearing little resistance inside or outside Parliament, again under the cover of a pandemic in a demoralised economy with negative growth and crushing unemployment where most are gasping for oxygen.

Briefly, the three laws are meant to dismantle the mandi(wholesale market) system and the minimum support price of agricultural commodities.

And – this is the point of general interest, often under emphasised by mainstream media – they are meant to do away with virtually all normal legal processes in case of disputes through the grant of unilateral power to the government. These laws transfer the power of settling disputes to the executive itself, with no role for the judiciary. The alleged culprit will judge the nature of the guilt, violating all notions of possible conflicts of interest in law.

Such a law was passed by our democratic Parliament hurriedly, demolishing not only farmers rights but threatening the rights of all Indian citizens.

The farmers rose against it. They rose to defend their rights and this has now become linked with the wider constitutional rights of all Indian citizens. India's demoralised, impoverished majority has suddenly become aware of the serious danger that stares them in the face. The corporatisation of agriculture is a prelude to the corporatisation of the Indian democracy, of our constitutional rights.

Economists of the establishment are known not for their expert knowledge but for their irrelevant half-truths, couched in jargon. The cornerstone of their argument, made famous by Milton Freidman, is that a free democracy requires a free market. The farm laws have brought up the question: Is it a democracy where the executor is also the judge? Is that the new definition of a free democracy? And then, how free is a market where a small or marginal farmer faces Mr Ambani or Mr Adani in a bargain over price?

It is a badly kept secret of standard economic theory that the price mechanism does not work unless all buyers and sellers are price takers in the market. This means nobody has the market power to make prices. The high-powered general equilibrium theory had to invent a disinterested

outside "auctioneer" like Voltaire's God who would set and revise price to get at the market clearing prices.

With all its imperfections and corruptions, the minimum support price is the closest we have a price set by an "auctioneer". The farmers want it enshrined as a law, the government is unwilling because it wants the corporations to set the prices, sooner rather than later, when the mandi system becomes dysfunctional under the new laws, with or without amendments.

This is the free market mechanism celebrated by mainstream economists, debated by so-called experts in the mainstream media, and financed by the big corporations. And in the meantime, Mr Ambani's Reliance has its fingers on the retail market of agricultural produce and Jio will control all corporate on will control all corporate on will control all corporate on bulk purchases, while Mr Adani is busy extending his network of corporate transport and silos for storing agricultural commodities.

The government is understandably enthusiastic about the future of digital capitalism with 5G, which will be controlled by Jio in India. Is there any respite, any alternative route possible?

The farmers are showing how wrong we all were in our pessimism. Things change, but not always in the way a few plutocrats and their minions want, if ordinary people unite with all their usual frailties and force Opposition political parties to unite at least on this issue. (Otherwise, the Opposition parties want to have neither a clear pro-poor road map of development nor the courage to call the bluff of mechanised corporate agriculture the E1Dorado of the future.)

The farmers' determined resistance has created the necessary circumstances. It is for us all to join boldly. It reminds one of the wisdom of a well known observation. Paraphrasing Marx, we might say: "May (and women) create history, but not under circumstances of their own making, but already created."

The circumstances have indeed been created by the valiant resistance of the African proverb can still lead an army of sheep to defeat what looked once like an invincible enemy.

Narendra Modi's agricultural reforms have angered farmers The grapes of wrath

Anup Sinha

[The author is former professor of Economics, IIM Calcutta]

The farmer protest near New Delhi is a major political event challenging the Narendra Modi government. The participation is widespread and it is growing by the day. That farmers have been unhappy with their economic condition was evident from the number of marches to Delhi during the past two years. This time the protest is about three bills passed in Parliament in September 2020. Before coming to the reasons why the farmer are protesting, it is important to mention two facts surrounding these bills and the ensuing protest that form the political backdrop. The first is that these bills were virtually bulldozed in the Rajya Sabha, passed by voice vote despite a demand for a division. This is against the rules. Those members who protested were suspended. The second is the way in which the government reacted to the farmers' march to Delhi. The farmer were met with lathes, tear gas and water cannons: they were dubbed 'anti-nationals', 'Khalistanis, agents of Opposition parties and middlemen who were not 'real' farmers. A large party of the media either did not highlight the event, or added even more demeaning and false epithets to those articulated by the ministers of the central government and the leaders of the Bharatiya Janata Party. Both these incidents represent the most recent instances of the Central riding roughshod over democratic institution and practices. But unlike what was done with the Raiva Sabha members, 'suspending' protesting farmers is not an option that the government has.

The farmers anxieties emerge from the three bills that were passed the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Service Act, 2020, and the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. Certain provisions made in these legislations have led the fermers to

believe that their incomes will come under greater uncertainty and, ultimately, get reduced. What are the factors that the farmers are basing their perceptions on?

Since 1965, the Agricultural Produce Market Committee Act enabled the setting up of regulated mandis or markets that allowed farmers to sell their produce to private agents and traders for mandi tax or fee. If there was any residual produce left unsold, the government bought it at a preannounced minimum support price. The regulated mandis were of particular importance in the Green Revolution belt of Haryana, Punjab and Western Uttar Pradesh. Not that the system was faultless. The agents become powerful and formed cartels and even harassed farmers. Farmers were always allowed to sell outside the mandis, but they would not be entitled to the MSP if they ended up with unsold stocks that they could not store. The mandis were a kind of insurance for the farmers. Only a small fraction of farmers were able to avail of the MSP: somewhere around 6 per cent. The remaining 94 percent still depend entirely on makkets.

The first law envisions the creation of 'one nation. one market' for agricultural trade. To induce this transition the legislation has given a tax holiday for trade outside the mandi, while the mandi tax remains. This it is hoped, will gradually shift all trade outside the mandis and the mandis would become redundant. E-trading will become more common and give access to market data from all over India. An important implication of all this is that the MSP will become a thing of the past. The farmers believe that with the MSP gone, large traders and agri-businesses will dominate the open market and drive down prices for the farmers. These large players would be much more powerful and have deeper pockets compared to the agents of the APMCs. There will be no benefit for the farmer.

The National Democratic Alliance government had promised to make the MSP more efficient, computed on considerations suggested by the Swaminathan Committee report published over 10 years ago. In fact, the MSP was a part of the NDA's election manifesto. This sudent turnaround is now upsetting the farmers. The government is claiming

that MSP will stay, but it is refusing to put the pledge down in writing . Indeed, if anything is the need of the hour in a crisis-ridden agriculture, it is a universal MSP covering all farmers. This eclipse of the APMCs also taken away a source of revenue for state governments without their consent, representing an attack on the federal structure of the republic.

The second legislation allows contracts that farmers may enter into with agents, traders, businesses and multinational firms for producing an agreed crop at a preagreed price. The government expects that the farmers will have access to better technology and as sured prices, leading to higher profitability and lower uncertainty. The language of the Act, however, allows for written as well as oral contracts. Section 19 of this Act puts any dispute arising from the bilateral contract out of the jurisdiction of civil courts. Now consider small farmers facing big buyers with oral contracts that cannot be enforced in a civil court. The prices, in such a situation, can surely be manipulated post-harvest. Also, if the inputs are given to the farmer and the crop chosen by the buyer, the cropping pattern will change towards commercial crops or towards export crops required only by multinationals. The seeds may be GMOs with in creased vulnerability for crop failure like in the case of cotton. If that occurs, who pays the farmer? Will a buyer compensate the farmer if there is a crop failure? Or will the other creditors from whom the farmer might have bought his inputs spare him the debt? Indeed, this has been tried in advanced economies too, like France, the United States of America and the United Kingdom. The model has failed, and has been the reason behind a number of suicides by farmers. The same holds true for India. What remains a greater worry for the farmers it that in the game of competition amongst buyers, just a handful of giants will win. The monopolization of trade cannot be ruled out with a couple of big houses in India and maybe three or four multinationals cornering over whelming share of agricultural trade.

At this point, one might raise a question; what prevented big business from cornering markets until now? The answer lies in the amendment to the Essential Commodities Act, which was the

third bill passed in September. This amendment deletes cereals, oilseeds, pulses, potatoes and onions from the list of essential commodities, except in the time of war. In rendering the commodities inessential at the stroke of a pen, it makes their hoarding completely legal. Who benefits, once again? Big traders can now easily influence consumer prices keeping them as high as possible and manipulating farm gate prices by delaying buying till the farmers become desperate to sell at any price. The farmers were not covered under the Essential Commodities Act. They were allowed to seep as much stock as they wanted to of their own produce. However, the ability to do so is extremely limited for almost all farmers in India because of the lack of infrastructure.

India certainly needs more incomes for its farmers. As per the last data available for farm incomes in India, according to the NSSO report of 2013, the average monthly income of an entire farm household with five individuals in the family from all sources was a mere Rs.6,426. Bringing the model of corporate control over agriculture is not going to be a solution. It will only aggravate the problems of uncertainty and debt, land use patterns and soil fertility, and availability of freshwater. In the US, where this model has been tried for decades, data suggest that since 1960 there has been a steady decline in farm incomes. The survival of farmers depends heavily on government subsidies. In India, the situation is much more forbidding. Unless the government sits down to consider the demands of the farmers, the anger will only continue to escalate while the 'grapes of wrath get heavy'.



अभिमत

रोजगार के अनियमित रूपों को समाप्त किया जाए शोषण और अन्याय का अंत हो समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए एच महादेवन

आजीविका का अधिकार 'भेदभावपूर्ण नीतियों से आजीविका का अधिकार छीना जाता है' :

आजीविका अधिकार ज्यादातर देशों में लोगों संवैधानिक रूप से स्थापित अधिकारों में से एक है। लेकिन यह मौलिक अधिकार अक्सर सरकारों द्वारा अपने निहित हितों के लिए तोडम्रोड दिया जाता है और दबा दिया जाता है।

इनमें से कुछ मौलिक अधिकार 'मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा' से प्राप्त होते हैं।

प्राय: अधिकारों को कानूनों द्वारा तथा भेदभावपूर्ण नीतियों के माध्यम से व्यवस्था आनुसार कमजोर कर दिया जाता है, जो परिस्थितियां अमीर और शक्तिशाली लोगों के पक्ष में तथा श्रमिक मजदूर वर्ग, संकटग्रस्त किसानों, मधुआरों, असंगठित श्रमिकों और महिलाओं और बच्चों सिहत सिहत पिछडे और कमजोर समुदायों के संकटों और कष्टों को इस्तेमाल करके उनके ही खिलाफ काम करती हैं।

आजीविका के अधिकार की कमी के कुछ कारण:

चौतरकफा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की लूट, लालच, सत्ता का दुरुपयोग, असमानता, भेदभाव, धमकाना, आजादी की कभी, लोगों का उत्पीडन और दमन, जो पूंजीवादी समाज का प्रमुख अंग है।

> जाति, धर्म, शिक्षा और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर समुदायों को दरिकनार करना, समुदायों को सशक्त बनाने के अवसर घटाना।

- ⇒ सामंती मानसिकता का होना।
- 🖒 पारदर्शिता और जवाबदेही की कभी होना।
- ⇒ हकुमरान शासन और उनके गुलाम लोग।
- ⇒ प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तिया आदि।

नवउदारवादी वैश्वीकरण के बाद विकास का बदसूपत चेहरा, आजीविका के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है:

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संस्थागत निम्राण के माध्यम से।
- पुत्क व्यापार', व्यापार में उचित नीतियों की कभी और उनके अंतर्राष्ट्रीय नियम व संगठन।
- क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मुत्क व्यापार समझौते जो अमीर और शिक्तशाली तत्वों के फायदे मे हों और श्रिमकों के हित के खिलाफ काम करन्ते हैं।
- ⇒ कॉपोरेट और व्यात्किगत लालच द्वारा सचालित नीतियां जो गरीबी उन्मूलन, सामाजिक–आाथि४क असमानताओं और उससे वंचित लोगों पर्याप्त रूप से संबोधित नही करती हैं।
- ⇒ बदसूरत चेहरे वाला पूजीवाद और 'पशु फार्म सिद्धांत', क्रोनी पूंजीवाद, माफिया पूंजीवाद, कैसीनो पूंजीवाद आदि का चलना।
- ⇒ अमीरों और गरीबों के बीच पूंजी का असमान वितरण और न मिटने वाली खाई।

मुनाफा ढूढने की नीति के तरत, रोजगार के बदलते तरीके और जीवन का गिरता स्तर:

बाजार, उत्पाद प्रतिस्पर्धा और मुनाफे के नाम पर अनिश्चित एवं शोषणपूर्ण रोजगार में भारी वृद्धि हूई

- ⇒ अस्थायी, आकस्मिक, अनुबंध, उप-अनुबंध, निश्चित अविध अनुबंध, आउटसोर्सिंग, एजेंसी कार्य, प्रवासी श्रमिक, गऱ्-नियमित, गैर-स्थायी और असुरक्षित नौकरियों के अन्य रूप।
- नौकरी सुरक्षा और पर्याप्त मजदूरी और रोजगार की उचित स्थितियों के साथ नियमित रोजगार में तेजी से गिरावट हूई है, जबिक मुनाफा और उत्पादन लगातार बढता है और स्थायी रौजगार में असमान रूप से गिरावट आती है।

अचानक और विपरीत बदलाव जिसके परिणामस्वरूप शासन अमानवीय हो जाता है:

नवउदारवादी वैश्वीकर के परिणआम: शासन की नई शर्तें और उनके असली अर्थ:

सामाजिक ढांचा / सामाजिक संरचना नवउदारवादी वैश्वीकरण और तथाकथित 'बाजार अर्थव्याव्स्था' और 'मुत्क व्यापार' के आागमन से विकृत हो जाते हैं जो कि किसी भी मामले में निष्पक्ष या स्वतत्र नहीं है। वर्षों से हमारे अनुभव में, अंतरराष्ट्रीय

- स्तर पर नए नियम और उनके असली अर्थ नीचे दर्शाए गए हैं।
- 1. **'संरचनात्मक समायोजन (स्ट्रक्चरल एडजेस्टमेंट)':** प्रमुख शित्कियों द्वरा राष्ट्रीय अर्थव्यावस्था में हस्तक्षेप।
- 2. **'विनियमन (डीरेगूलेशन)':** किसी भी नियम कानून से रहित तथा असुरक्षित स्थानी व्यावसाय: टैरिफ (कीमत) के बिना आयात।
- 3. **'हमें स्पर्धा में उतरना चाहिए':** सामाजिक डरूरतों की जगह निर्यात को प्राथमिकता दी जाती है।
- 4. 'अंदर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच': गरीब श्रम शक्ति का शोषण व हमारे देश को खुले आम बेचना।
- 5. **'निजीकरण':** देश की संपत्तियां बेचना, आवश्यक सेवाओं के लिए सरकार की जिमेमेदारी से इन्कार।
- 6. **'उपयोगकर्ता दाम दें':** दाम नहीं, तो सेवा नहीं।
- 7. **'बेरोजगारी':** तर्कसंगतता का परिणाम, लोगों के सामाजिक हित के स्थान पर मुनाफे को प्राथमिकता, मुद्रास्फीति रोकना आवश्यक।
- 8. **'डाउनसाइजिंग राइचसाइजिंग':** कायरिंग, सैकिंग, रिट्रेचमेंट, वीआरएस, सीआरएस, एफआपएस।
- 9. 'आउटसोर्सिंग': सब, कम संभव दरों पर काम करवाना, अधिक से अधिक काम के लिए अन्यायपूर्ण कम मजदूरी देकर लोगों का शोषण।
- 'लचीलापन': अधिकतर आकस्मिक और अनुबंध रोजगार (ठेका रोजगार), नोकरियों में स्थायित्व और सुरक्षा की कभी ।
- 11. 'उत्पादन': एक झूठा ईश्वर, जो श्रिमिकों को दास में बदल देता है और अपनी इच्छा पर निकाल दिया जाता है।
- 'मंदी': अमीरों के वित्तीय कुप्रबंधन लालच का बुरा असर जो आम जनता को झेलाना पडता है।
- 13. 'तर्कसंगतता':नौकरी खत्म करना, मुनाफे के हित में आवश्यक सेवाओं को घटाना।
- 14. 'लचीलापन': शत्किशाली तत्वों द्वारा दिए गए निर्देश को चलाना।
- 15. **'आर्थिक तर्कवाद':** आर्थिक कट्टरतावाद, गैर आर्थिक कुतर्कवाद।
- 16. 'बाजार की ताकतें': अमीरों का अमीर होते जाना एवं गरीब और गरीब होते जाता है, अनियंत्रित बाजार, अनियंत्रित लालच बढता जाता है।
- 17. **'मुक्त बाजार':** पूजीवादी विनियमित व्यापार जो समृद्ध दुनिया को लआब पहुचाने के लिए है, ऐसे में जो अमीर है वही जीतता है।
- 18. **'मुक्त व्यापार':** बडे व्यवसाय द्वारा अनुचित व्यापार के मार्फत,

- आक्रमण व शोषण।
- 19. **'लेवल प्लेइंग फील्ड':** एक प्रतियोगिता जहां सबसे शक्तिशाली जीतता है क्योंकि डिस्क हर किसी अन्य के खिलाफ लोड़ की जाती है।
- 20. 'वैश्वीकरण': अंतर्राष्ट्रीय शोषण।

परिणाम

भारत सहित दुनियाभर में प्रचलित स्थिति :

- पूंजीवादी आर्थिक व्यावस्था, एक बार फिर विफल रही है और लोगों की विशोष रूप से मजदूरों और किसानों की बुनियादी जरुरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है।
- युवा बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो रही है।
- आकस्मिक, अनुबंध (ठेका मजदूर) जौसे अनियमित रोजगार में तेजी से वृद्धि दुई, जबिक, स्थायी रोजगार हर साल काफी कम हो रहा है।
- पूंजीवादी सरकारों और नियोक्त्काओं (मालिकों) द्वारा श्रम कानूनों का खुले आम उल्लंधन किया गया है, साथ ही विभिन्न देशों में मजदूर के खिलाफ कई प्रतिकूल न्यायिक फैसले भी सुनाएं गए हैं, इसके अलावा मौजुदा कानूनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेटों के पक्ष में संशोधित किया जा रहा है, और पूंजीवादियों के पक्ष में किया जा रहा है, जैसे की भारत में विभिन्न कोड लागू कर रहे है।
- कई देशों में कुछ वैधानिक प्रावधानों के बावजूद, कमजोर वर्ग,
 महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान किए बिना कई प्रकार के
 शोषण के अधीन किया गया है।
- एशिया-प्रशांत देशों के भीतर प्रवासी मजदूर और बाहर जानो वाले प्रवासी श्रमिकों को सरकारों के असहनीय रवैये का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भोजनोवाले और स्वीकार करने वाले दोनों की सरकारों उनके अधिकारों के प्रति उदासीन हैं।
- आई.एल.ओ.के कई कन्वेंशन, जिसमें, बुनियादी कन्वेशन बी शामिल हैं, एक तो कानूनों के तरत अनुमोदिन नहीं किया जा रहा या लागू नहीं किया जा रहा। इस प्रकार श्रम को क्रयवस्तु (कमोडिटी) बनाने की इजाजत दी गई है।
- ऑफ लोडिंग, आउटसोर्सिंग, सब-कान्ट्रैक्टिंग और ऐसे अन्य उपायों से भेदभाव और सेवा की स्थिति में कभी आने में लगातार बढोतरी होती है।
- कृषि मजदूर और छोटे किसान दुखी पर्सिथितियों में रहते हैं, और भारत जैसे कुछ देसों में बडे पैमाने पर आत्महत्या का रास्ता लिया जाता है।

- भारत में सरकारों आर्थिक और श्रमिक नीतियां अधिक से अधिक अमीरों, कॉपोरिट कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की समर्थक और श्रमिक विरोधी बन हरी हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब बनने की स्थिति बनती जा रही है और चंद अमीर तथा बहुसंख्य गरीबों के बीच की खाई गहरी होती जा रही है।
- यहां तक कि ट्रेड युनियनों के गठन में बाधा अडंगे डाले रहे हैं और कई बुनियादी ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत मान्यता नहीं दी जाती है, जिससे उनके सदस्यों की बडी संख्या संगठन का अधिकार और सामूद्रिक सौदा करने का अधिकार से वंचित हो जाती है।

अनियमित रोजगार के प्रकार

श्रम अनुबंध (ठेका मजदूरी):

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा समर्थित और दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (एनएलसी) की प्रस्तुत किए गए प्रटक के विचाहों को इस प्रकार रखा गया है:

1. १९९५ के सिविल अपील सं, ५४९७ में के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है :

> हम इस तथ्य पर हमारी निराशा व्यक्त करने पर मजबूर हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्क्रम, जब कामगारों को अनुबंध श्रमिक अधिनिचम की धारा १० (२) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सीधे नियोजित किया जा सकता है वहां भी श्रमिकों को शामिल करके अनचित श्रम प्रथा में शामिल हो रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्मचारियों की बजाय अनुबंध श्रम (ठेका मजदूर) को जोडने मे एकमात्र स्पष्ट उदेश्य खर्च को कम करके मौद्रिक लाभ है। इस ताथ्य के अलावा कि यह एक अनुचित श्रम प्रथा है, यह संबंधित उपक्रम और देश के दृष्टिकोण से, आर्थिक रूप से संकीर्ण दृष्टि की और आधारहीन नीति भी है। आर्थिक विकास को उत्पादन और मुनाफे के परिपेक्ष में नही मापा जाना चाहिए। इसे मुख्य रूप से लोगों के रोजगार और कमाई के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। मनुष्य को विकास का केंद्र बिद् होना चाहिए। उपक्रमों - उद्योगों द्वारा अपनाया गया रवैया बेरोजगारों को रोजगार देने तथा समय – समय पर घोषित बेरोजगारी कम करने की सरकारी नीति के साथ मेल नहीं खाता है। हम सरझते हैं कि यह हमारे सविधान के अनुच्छेद ३८, ३९, ४१, ४२, ४३ और ४७ में निहित सिद्धांतों के आदेश के विरूद्ध है।

अंत: हम यग सिकारिश करते है कि:

ए) सभी उद्योग, प्रतिष्ठान व संस्थान जो किसी भी प्रक्रिया, संचालन या कार्य में अनुबंध श्रम (ठेक प्रथा को) प्रणाली को नियोजित कर रहे हैं जो अदिनयम की धारा १० (२) के खंड (ए) से

- (डी) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है, अपने आप उसे बंद कर देना चाहिए और अनुबंध श्रमिकों को अपने प्रत्याक्ष कर्मचारियों कें रूप में स्थापित करना चाहिए।
- बी) केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों को ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच करने के लिए एक समिति नियुत्तक करनी चाहिए जिसमें अनुबंध श्रमिक शामिल हैं और अधिनियम की धारा १० (२) के खंड (ए) से (डी) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर, अनुबंध श्रम प्रणाली को समाप्त किया जा सकता है और अनुबंध श्रम को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जा सकता है। उचित सरकार को अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित प्रतिष्ठानों में श्रम अनुबंधों को समाप्त करने के लिए पहल करनी चाहिए।
- सी) जब समुचित सरकार अनुबंध श्रमिक प्रथा (ठेका प्रथा) रह् कर देता है तब प्रमुख संस्था में काम करवाने वाले ठेकेदार के मजदूरों को नियमित नौकरी पर रखने का सवाल औद्योगिक न्यायालय के दिचारार्थ रखने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम में पर्याप्त संशोधन करके योग्य प्रातधान का आयोजन करना चाहिये (सर्वोच्च न्यायोलय द्वारा इसके बाद के आदेश में इसे और बेहतर किया गया है)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने १९९६ के सिविल अपील सं. १५५३५ में 2. एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि सी.एल.(आर.ए.) अधिनियम १९७० के तहत अनुबंध श्रम (ठेका मजदूरी) उन्मूलन के अधिसूचना के बाद मुख्य नियोक्ता को अनुबंध श्रमिकों को पक्का करना होगा। माननीय न्यायालय ने खुली या उदार अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के साथ व्यवहार के कानूनी सिद्धांत को निर्धारित किया है। देश में, मजदुरों में, मजदुरों और कर्मचारियों के लिए एक नई प्रणाली की नीव डालते हुए, न्यायाधीशों ने कहा है कि श्रम कानून का अर्थ अंग्रेजों से प्राप्त निजी आम कानून के सिद्धांतो द्वारा नहीं बत्तिक सार्वजनिक कानन के सिद्दांतों द्वारा किया जाएगा। संविधान से प्राप्त सार्वजनिक कानून के सिद्दांतों के अनुसार शोशित, गरीब, पिछडे वर्गों व दलित लोगों के लिए सामाजिक - आथि४क न्याय की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सरकार, चाहे जो भी राजनीतिक रंग की है, यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है और अदालतें इस आधार पर उन्हें अर्थ देकर श्रम कानूनों को जीवन देने के लिए बाध्य है। एक गरीब, मजदूर और आम आदमी आर्थिक और सामाजिक खतंत्रता को पाकर ही, केवल काम करने के अधिकार, आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार, जीवनयापन के लिए उचित मजदूरी, सभ्य जीवन, शिक्षा और मनोरंजन अवकाश पाकर ही सुरक्षित महसूस कर सकता है।

इन अधिकारों को साथ्रक बनाने के लिए, निजी कानून सिद्धांतों से सार्वजनिक कानून व्याख्या के लिए न्यायिक सोच में बदलाव होना जरूरी हैं। इस बीच, संविधान के तहत आजीविका कमाना जीवन के लिए पूर्ण मौलिक अधिकार को पूर्ण करता है। इसलिए रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

तदनुसार, जबं किसी प्रतिष्ठान में अनुबंध श्रम (ठेक मजदूर) लगाया जाता है, तो उन्हें तब तक अनुबंध श्रम के रूप में शामिल होना आवश्यक है जब तक कि उस प्रतिष्ठान में कार्य उपलब्ध हो। जब कार्य एक लगातार प्रकृति का होता है और अधिनियम के तहत बोर्ड प्रासंगिक सामग्री पर वह निर्णय करता है, तो अनुबंध श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसके उन्मूलन पर, नियोत्त्का व कर्मचारी संबधों के लिए वह अपनी पूर्व ठेक मजदूर स्थिति को पार करने के नियमित आधार पर कुलवक्ती मजदूर होने का हकदार है।

अनुबंध श्रम के उन्मूलन पर नियोक्ता (मालिक) की अपने संस्थान में मजदूरों कों नियमित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। यह अधिनियम कानून नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को अपनी मनमर्जी से चुनने का अधिकार नहीं देता है। अनुबंध श्रम (ठेक मजदूर कानून) के रूप में अपनी कार्य की तारीख के नियोक्ता (मालिक) का कर्मचारी बनता है। अधिनियम मे प्रावधान किया गया है कि अनुबंध श्रम समाप्त करने के लिए अधिसूचना के बाद इस तरह के अनुबंध श्रम की समाप्त के लिए औद्योगिक न्यायालय से निर्णय लेने की आव्यकता नहीं रहेगी।

हमारे सोचे - समझे विचार इसलिए ऐसे थे:

- सुप्रीम कोर्ट के उपर्युत्तक दो निर्णयों के अनुसार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम संशोद्यित किया जाना चाहिए ताकि उनके आदेश कानून के तरत लागू हो सकें।
- ii) नकली अनुबंध (नकली ठेका) : यदि नियोत्तका (मालिक) द्वारा कच्ची सामग्री की आपूर्ति की जाती है, नियोत्त्का द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है और अंतिम उत्पाद या सेवाओं का उपयोग नियोत्त्का द्वारा किया जाता हैं और ठेकेदार के माध्यम से केवल भुगतान किया जाता है, तो अनुबंध नकली होता है और मजदूर प्रिंसिपल नियोत्त्का के नियमित कर्मचारी होते है।
- iii) जब अनुबंध प्रणाली समाप्त हो जाती है, तो मौजूदा अनुबंध कर्मचारी सहज रूप से प्रमुख नियोक्त्का के नियमित श्रमिकों के रूप में कार्यरत हो जाएंगे।
- iv) प्रमुख नियोक्त्का को नियोक्त्का समझा जाना चाहिए और प्रमुख नियोक्त्का पीएफ, ईएसआई, ग्रैच्यृटीं, छंटनी मुआवजे, श्रिमक

- मुआवजे इत्यादि के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
- v) नियोक्ता लॉबी से मजबूत दबाव पर सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि अधिनियम के तहत परिभाषा में नौकरियों की स्थायी – बारहमासी प्रकृति के बजाय मुख्य और परिधीय नौकरियों का समावेश हो जिससे तथाकथित परिधीय (पैरिफिरल) नौकरियों में अनुबंध श्रमिक रखे जा सकेंगे (ज्यादातर आस्थपानायों में ७५-- नौकरिया परिधीय होती है), और मुख्य क्षेत्र में ही अनुबंध श्रम पर पाबंदी लगे। यह प्रस्ताव अधिनियम के आदेश के ही खिलाफ है और न्यायिक फैसलों के भी विषरित है, इसलिये उसे कभी नहीं माना जाना चाहिए।

नियोक्ताओं के विचार:

अनुबंध श्रम (आर एवं ए) अधिनियम - १९७० नियोक्ताओं (मालिकों) के विचार :

भारत सरकार को एसोचैम के दिए हुए प्रस्ताव, पूरी तरह से हमारे विचारों के विपरीत हैं।

अनुबंध श्रम रोजगार (ठेके पर मजदूरी) पर प्रतिबंध :

- अनुबंध श्रम अधिनियम के वर्तमान प्रातधान ठेकेदाहों की भूमिका को नहीं पहचानते हैं। संगठित क्षेत्र में अस्थायी मजदूर १-- से कम (८० मिलियन) है फिर भी उनके बारे में कोई प्रातधान नहीं है और देखरेख जांच बहुत कम है।
- ii) वर्तमान वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा १० सरकार को किसी बी संख्या में किसी भी प्रक्रिया, संचालन या अन्य कार्यों में अनुबंध श्रम (ठेका मजदूर प्रथा) को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करती है। वैसे अनुबंध श्रम के नियमित किये जाने के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि एयर इंडिया वर्सीस यूनाइटेड लेबर युनियन ९९१७ एलएलआर २८८) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुबंध श्रम प्रणाली को खत्म करने पर, मुख्य नियोक्ता अपनी नियमित सेवा में अनुबंध श्रम को खत्म करने के लिए बाध्य है।
- iii) यह सुझाव दिया जाता है कि अनुबंध श्रम उन्मूलन के लिए प्रदान की गई धारा १० को अधिनियम से हटा देना चाहिए और उसे अनुबंध श्रम विनियमन अनिधिनयम, १९७० कहा जाना चाहिए। नियामक प्रावधानों की भी समीक्षा की जा सकती है और ठेकेदारों की जिम्मेदारी को बढा़या और परिभाषित किया जाना चाहिए। दुनिया भर में आउटसोसिंग की प्रकृति है, मजदूर ठेके पर हैं, ताकि उद्योग के लिए परेशानी मुक्त, लागत प्रभावी और लचीला वातावरण बनें। बैशक नियामक प्रावमक प्रावधानों को केदार की जिम्मेदारी बढा़ने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए ताकि ठेके श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का और ईएसआइ और ईपीएक के

तहत प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा उपायों की गारंटी मिले।

धारा ३१ - विशेष मामलें में छुट देने के लिए अधिकार :

यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना दवारा आपातकालीन स्थित या सार्वजनिक हित में, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के तहत और ऐसे अविध में या अविधयों के लिए घोषित कर सकती है कि अधिसुचना में निर्दिष्ट, इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान या उसके तरत बनाए गए नियम किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों की किसी भी क्षेणी पर लागू नहीं होंगे।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:

1. आर्थिक, सामाजिक और सांरकृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक, १९६६ :

> आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुच्छेद ७ में कहा गया है कि वर्तमान मानक के संयोजक पक्ष हर किसी के न्यायिक और हितकारी काम के अधिकार को पहचाने है जो विशोष रूप से सुनिश्चित कहता है:

वेतन जो सबी श्रमिकों को न्यूनतम के रूप में प्रदान करता है:

- हिस्सी भी प्रकार के भेज के बिना समान मूल्य के काम के लिए समान और उचित मजदूरी, विशोष रूप से महिलाओं को उन शर्तों की गारंटी दी जाती है कि जो सहुलियतें पुरूषों को मिलती है उनसे कम नहीं मिलेगी जैसे कि समान कार्य का समान वेतन।
- ii) वर्तमान मानक के प्रावधार्नों के अनुसार स्वयं और उनके परिवारों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर।
 - ए) सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियां।
 - बी) सभी को उचित उत्त स्तर पर रौजगार में पदोन्नत करने के लिए समान अवसर।
 - सी) काम के घंटों की उचित सीमा, आराम, अवकाश के प्रावधान और वेतन के साथ सार्वजनिक छुट्टिया, साथ ही सार्वजनिक छट्टियों के लिए वेतन।

भारत उपरोक्त मानक का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसने इसे १०.०४.१९७९ को अनुमोदित किया है। सिवधान के विभिन्न प्रावधानों को देखते हुए उपोक्त दायित्व से कोई बचाव नहीं और बारत के संविदान के अनुच्छेद १४१ के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को देखते हुए, समान कार्य का समान वेतन का सिद्धांत हर मजदूर को रूपष्ट अधिकार देता है, फिर वह नियमित हो या अस्थायी, यह अधिकार प्रत्येक कर्मचारी में निहित है।

2. आईएलओ के डीसेंट वर्क के चार स्तंभ:

डीसेंट वर्क के लिए आईएलओ के चार पैरीमीटर है:

- सामाजिक सुरक्षा के साथ रोजगा।
- ii) मजदरों को काम की जगह पर हक।
- iii) सामाजिक सुरक्षा।
- iv) प्रतिनिधित्व।

भारत में बडे बडे नियोक्ताओं के समेत हर जगह अनुबंध, आकिस्मिक और अन्य अस्थायी रूयों की नौकिरियां जी जा रही है, और भारत सरकार सबसे बडी नियोक्ता है जो कि पूरी तरह से नाकाम है और डीसेंट वर्क के उन सबी चार मानकों को लागू करने में वह फेल है। अनुबंध, आकिस्मिक और अन्य अस्थायी नोकिरियों में स्थायी – नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उन्हें काम की जगह पर कोई अधिकार नहीं है (इन श्रमिकों में से बहुतेरों का कोई प्रतिनिधि संघ नहीं हैं, जो समस्याएं मालिक के सामने रखे, हर कोई कानून, कार्रबाई में प्रमुख मालिक उन्हें ठेकेदार के मजदूर बता कर अपनी जिम्मेदारी को टाल देते है।

इसिलए, ठेके श्रमिकों के अस्तित्व और उसी निरंतरता डिसेंट वर्क को नियंत्रित करने वाले सिहता का भी सरासर् उल्लिधन हैं।

प्रचलित खतरनाक स्थिति:

ये ठेका मजदूर, आकस्मिक मजदूर आदि अभी भी फिलाडेल्फिया घोषण, की श्रम एक क्रय वस्तु नहीं है के विपरीत, श्रम के कमोडिटीकरण के अधीन हैं इसमें न केवल अनोपचारिक क्षेत्र के तथकथित अनौपचारिक श्रमिक शामिल है बाल्कि औपचारि क्षेत्र में अनौपचारि – असंगठित श्रमिकों की बढती संख्या भी सामिल है। उनके पास नौकरी की कोई सुरक्षा नही है, विश्व निकाय, आईएलओ द्वारा निर्धारित मानकों का कोई फालदा नही हूआ है, जहाँ तक इन श्रमिकों का संबंध है। वे उत्पादन, उत्पादकता में योगदान देते हैं लेकिन वे नियमित कर्मचाहियों के लिए लागू होने वाले लाभ का आनंद नही ले सकते है। जबकी शीर्ष अधिकारियों सिहत नियमित कर्मचारियों – अधिकारियों को विभिन्न नामों – योजनाओं के तहत वार्षिक बोनस – एक्सग्रासिया मिलता है, इन श्रमिकों को शायद ही कभी तथाकथित न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाता है और यह भी सेवा आनुबंध श्रमिकों के कुछ क्षेत्रों में कार्यहत मजदूरों को देने से मना कर दिया जाता है।

नियोक्ता उपने 'सीटीसी', 'कंपनी के खर्च के बारे में बहुत चिंतित हैंं और जबिक असल में ये पीडित अनुबंध / आकस्मिक कर्मचारी हैं। जाहिर है, ऐसे जितने श्रिमकों की संख्या अधिक हौगी उतना ही नियोक्ताओं के लिए लाभ अधिक होता है। ठेके श्रिमकों को श्रम न्यायालय, श्रम विभागी आदि में भी नियोजित किया जाता है, जहां मजदूर वर्ग को उनकी शिकायतों के संबंध में न्याय मिलने की आशा होती ह। दुर्भाग्यवश, कई स्थायी श्रमिक संघ शायद ही कभी उनकी तरफ ध्यन देते हैं, जबिक स्थायी कर्मचारी अनुबंध / आकस्मिक श्रमिकों के श्रम के फल का इन्सेंटिव के रूप में आनंद लेते हैं। हालांकि, स्तायी मजदूरों की युनियनों के ठेके श्रमिकों की भी आव्शकता होती है जब अपने सदस्यों के लाभ के लिए वे हडताल का जायोजन करते है, यह हमेशा की वास्तविकता और शर्मनात स्थित है। वर्ग आधारित ट्रेड यूनियनों द्वारा कम से कम इसे अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।

हाल के महीनों में जो लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे वे अनुबंध, आकस्मिक, दैनिक मजदूरी वाले मजदूर और छोटे और मध्यम उद्योग, कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र इत्यादि जैसे कई प्रकार के क्षेत्र थे, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाई गई नोटबंदी से बुरी तरह से प्रभावित व पीडित ते। इन असहाय लाखों लोगों के लिए कोई राहत नहीं थी। उन्हें रोजगार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उनके नियोक्ताओं को नोटबंदी के कारण उनकी आवश्यकता नहीं थी। मोदी सरकार द्वारा लागू नोटबंदी का इन श्रमिकों पर जो व्यापक प्रभाव हुआ वह सरकार, सामाजिक कल्याण विभाग, महिला विकास आदि द्वारा अनदेख किया गया था। सामाजिक न्याय के नारे, मजदूरी की सुरक्षा, रोजगार की निरंतरता आदि व्यावहारिक रूप से इन श्रमिकों के लिए अर्थहीन शब्द हैं। इन श्रमिकों की रक्षा, राहत, बेरोजगारी भत्ता और नौकरियों को वापस पाने के लिए पूरे मजदूर वर्ग को एकजुट हो जाना चाहिए था।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने उनके संयुक्त मंच के माध्यम से अपने बारह प्वाइंट चार्टर मांगों में 'स्थायी / बारहमासी काम पर ठेका मजदूर प्रणाली को प्रतिबंधित करनें, 'समान काम के लिए समान मजदूरी इन महत्वपूर्ण मांगों को रखा, इसके अलावा न्युनतम मजदूरी रपूये १८००/- प्रतिमाह की भी मांग की, सरकार इन बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी मुद्दों की अनदेखी कर रही है, जिससे मजदूरों के बडे हिस्से प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते हैं।

न्याय व्यवस्था की सकारात्मक भूमिका:

अन्याय को समाप्त करने के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतर्न पर कई न्यायिक फैसले हैं। इनमें से कुछ फैलवे नीचे दिए गए हैं। 1. बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी न देना भारतीय संविधान का उल्लंघन है:

धीरेन्द्र चमोली मामले में, सुप्रीम कोटे ने अस्थायी कर्मचारियों द्वारा नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले मजदूरी के लिए वेतन समानता के दावे पर प्रार्थना स्वीकार कर ली. समान काम करने के बावजूद, समान वेतन का भुगतान न करने की कारेवाई को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया। यह

फैसला सुनाया गया कि ऐसी कार्रवाई कल्याणकारी राज्य में शोषण की थी, जो समाज के समाजवादी पैटर्न के प्रति प्रतिबद्ध है।

2. अस्थायी कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान मजदूरी पाने के हकदार हैं:

सुरिंदर सिंह केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों द्वारा बराबर मजदूरी का किया दावा संविधान के अनुच्छेद 39 में अधिकार के रूप में उपस्थित है। इस केस के फैसले में बराबर काम के बराबर वेतन का सिद्धांत फिर से लागू किया गया। कहा गया कि अस्थायी कर्मचारी किसी नियमित कर्मचारी जैसे मजदूरी पाने का हकदार था। इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि उपरोत्तक प्रस्ताव की डी.एस. नाकारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट संविधान बेंच द्वारा भी पृष्टि की गई थी।

3. छोटी अविध का रोजगार या चयन प्रक्रिया बराबर मजदूरी का भगतान नहीं रोक सकती है:

भगवान दास मामले में, सुप्रीम ने दर्ज किया कि बराबर मजदूरी के दावे में, जिस अविध के लिए कर्मचारी काम पर रहेंगे (या रहे थे), इससे कोई फर्क नहीं पडता। उसी तरह चयन और नियुक्ति के तरीके से कोई फर्क नहीं पडता। और इसलिए, जहां तक सि सिद्धांत की व्याख्या व उसके लागू होने का संबंध है, क्या चयन खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया था या गांवों के एक समूह तक ही सीमित था, इससे कोई फर्क नहीं पडता। और इसी लरह जहां तक ''समान कार्य का समान वेतन'' के सिद्धांत की सार्थकता का संबंध है, नियक्ति सीमित अविध (छह महीने, या एक वर्ष) के लिए थी या असीमित अविध के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। अदालत ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि कर्मचारियों द्वारा समान मजदूरी की याचिका योग्य नहींथी क्योंकि संबंधित कर्मचारी एक अस्थायी योजना में लगे थे, और उन पदों के खिलाफ जो वर्ष – दर – वर्ष आधार पर स्वीकृत थे।

4. अधिनियम का सिद्धांत, संविधान के कॉलम 38 (2) सुनिश्चित करता है कि नियमित कैंडर की न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, कौशल स्तर के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता: भारतीय डाक तार मजदूर मंच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 38 (2) के सिद्धांत के तहत, पी और टी विभाग के तहत नियोजित डेली रेटेड कैजुअल मजदूरों को सरकार नियमित कैंडर में एक कर्मचारी को जिसे कम से कम मजदूरी का भूगतान किया जा रहा है अस्थायी कर्मचारी को वह देने से इंकार नहीं कर सकती है। महंगाई भत्ता के सात और

अतिरिक्त महंगाई भत्ता, साथ ही साथ अन्य लाभ जो आकस्मिक श्रमिकों को दिए जा रहे थे, उनसे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। विभिन्न दरों पर मजदूरी के भुगतान के लिए श्रमिकों (अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल) के रूप में वर्गीकरण उचित नहीं था। नियोक्ता का इस तहह का बर्ताव मजदूर का शोषण ही होगा, वह मनमानी और भेदभावपूर्ण होगा और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

5. दैनिक कमाई करने वाले मजदूर बी नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वतनमान प्राप्त करने के हकदर हैं:

पंजाव राज्य बनाम देवेंद्र में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैनिक कमाई करने वाला मजदूर उसी पद पर काम कर रहे नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान में रखा जाने का हकदार था।

6. दैनिक मजदूरों को नियमितक कर्मचारिं के न्युनतम वेतन और भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा:

कर्नाटक राज्य, अचिवं के मामले मे सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान बेंच ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि दैनिक मजदूरों को नियमित कर्मचारियों के न्युनतम वेतन और भत्ते का बराबर भुतान किया जाए।

अदालत ने वेतन मे समानता और नियमितकरण के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी बताया था. लेकिन कहा गया की संकल्पना लागू करवाई जा सकती है और यदि कार्य घटक समान ता तो वास्तव में इसे समानता के प्रश्न पर लागू किया जा सकता था।

7. बराबर काम करने वाले दैनिक मजदूरी कर्मचारियों को समान मजदूरी का भुगतान करना होगा:

हरियाणा राज्य बनाम चिरंजीत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशीय खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अन्य निर्णायों का हवाला देते हुए कानून की सही व्याख्या की और घोषणा की कि यदि संबंधित दैनिक मजदूरी कर्मचारी यह सिद्ध कर सकें कि वे समान कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह के कर्मचारी को भूगतान याचिका दायर करने की तारीख से बराबर मजदूरी का भुगतान करने के लिए अदालत का आवेश उचित होगा।

8. दैनिक मजदूरी कर्मचारी अगर नियमित कर्मचारियों जैसा ही काम कर रहेों तो नियमित कर्मचारियों की वेतन श्रेणी पाने के हकदार हैं

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुत्तिलाल के मामले में, कई मामनों में फैसलों के आधार पर यह माना गया था कि दैनिक कामगार को समान कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियमित रूप से नियक्त किए गए अपने समकक्ष कामगार के लिए निर्धारित वेतनमान के न्यूनतम वेतन जैसा वेतन पाने का हक होगा।

9. अनुबंध (ठेका मजदूर) के लिए भुगतान किए गए कुल वेतन को, न्यूनतम वेतनमान प्राप्त करने के लिए परिवर्तित किया गया:

यूगी कानून विभाग निगम मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने देख कि उत्तरदाताओं (रेस्पोंडेंट) को कुल वेतन और अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। अदालत ने नियोक्ता को पद कि लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमानों के आधार पर उत्तरदाता मजदूरों को वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

नवीनतम मामला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 अक्टूबर 2016 को सिविल अपील सं. 213 का निर्णय दिया गया:

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्यों के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब उच्च न्यायालय के पूर्ण खंडपीठ द्वारा दिये गये फैसले में, जिसका यहां उल्लेख किया गया है, वेतन भुगतान के मामलें में जहां अस्थायी मजदूरों को अलग – अलग श्रेणी में आंका है, यह फैसला उचित नहीं ठहराया जा सकता।

''किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान के विभिन्न प्रावधानों से उभरा है और वह इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारत में सभी अदालतों पर वह बाध्यकारी है। बराबर काम के बराबर मजदूरी का सिद्धांत अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है (अलग अलग कार्य जैसे की आकस्मिक, ठेके पर, थोडे समय के लिए या दैनिक मजदूरी आदि सब पर लागू होगा।''

''श्रम के लागों से इंकार करने के लिए कृत्रिम मानकों को निर्धारित करना गलत है। एक निश्चित काम में लगे कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से जो वही समान कार्य करता है, कल्याणकारी राज्य में तो निश्चित रूप से कम भुगतान नहीं किया जा सकता। इस तरह की एक कारेवाई अमानवीय होने के अलावा मानव गरिमा की बुनियाद पर ही हमला करती है। कोई भी स्वेच्छा से कम मजदरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, मजब्री में ही ऐसा करता है। वह ऐसा अपने परिवार के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए, आत्मसम्मान और गरिमा की लागत पर करता है साथ ही वह अपने काम की लागत और अपनी ईमानदारी की लागत पर करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह काम पाने के लिए कम मजदूरी स्वीकार नहीं करता है तो उस पर निर्भर परिवार के सदस्यों को बहुत अधिक नुकसान होगा। अन्य लोगों की तुलना में समान रूप के कार्य के लिए कम मजदूरी का भुगतान करने की कोई भी कारवाई एक उभरते शोषणकारी दासता का मजबूत वातावरण बनाता है। निस्संटेह यह कार्रवाई आक्राशमक, दमनकारी और जबरदस्ती की है क्योंकि यह अनैच्छिक दमन को

मजबूर करती है। ''

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बराबर काम के बराबर वेतन का सिद्धांत सभी अस्यायी कर्मचारियों पर लागू होगा, तािक वे नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों के न्यूनयतम वेतन जैसी मजदूरी का दावा करने का अधिकार रख सकें। हमें यह कहने में कोई हिचिकचाहट नहीं है कि संबंधित अस्थायी कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान में न्युनतम वेतन (सबसे कम) पर मजदूरी पाने के हकदार होंगे।"

जैसा कि पहले भी गया था कि वेतनमान में उस स्तर पर लागू भत्ते भी सामिल हैं, न केवल मूल वेतन। कुछ लोग गलत अनुमान लगा सकते हैं कि केवल बराबर चेतनमान ही लागू होता हैं।

करना क्या है ?

''हम जानते हैं कि ट्रेड यूनियन वर्ग आधारित संगठन है। समाज व सामाजिक व्यव्स्था की संरचना को बदलने के लिए मजदूर वर्ग के हाथों में ट्रेड यूनियनें एक शक्तिशाली हथियार हैं।''

एआईटीयूसी के संविदान 1920 में स्थापित उद्देश्यों (एम्स एंड ऑब्जेक्टअस) में लिखा गया है :

- (सी) मजदूर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए,
- (डी) अपने रोजगार से संबंधित सभी मामलों में के हितों, अधिकारों और विशे,ाधिकारों को देखनें, प्रचार करने, सुरक्षित करने और बढाने के लिए।
- (ई) सामाजिक उत्पीडन और अन्याय के सबी रूपों के खिलाफ लडने के लिए। एआईटीयूसी की संविधान के तहत, विशेष रूप से निम्नानुसार मांगे घोषित की गई हैं।
 - न्यूनतम निर्वाह मजदूरी।
 - समान काम के लिए समान वेतन।
- काम करने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार के रूप में
- ठेकेदाहों, बिचौलियों आदि के माध्यम से कामगारों की भर्ती की प्रणालियों का उन्मूलन।

हम 'भारत में एक समाजवादी राज्य की स्तापना'' सहित हमारे 'उद्देश्य और लक्ष्य' को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने कई ऐतिहासिक संघर्ष किए और कई उल्लेखनीय उपलाब्धिया भी प्राप्त कीं।

सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि स्थायी श्रमिकों के युनियन, अनुबंधित श्रमिकों (ठेका मजदूरों) के मुद्दों का समर्थन कर सकते हैं (भले ही वे उनके युनियन के सदस्य ना हो): ट्रेड युनियनों द्वारा संसद पर 9 से 11 नवंबर 2017 तक तीन दिनों का 'महाघरना' दिया गया था। 17 जनवरी 2018 को स्कीम श्रमिकों (अंगनवाडी आशा, मिड-डे-मील, शिक्षा मित्र इत्यादि) द्वारा पूरे भारत में हडताल का आयोजन किया गया। इसके तुरन्त बाद पूरे भारत में ट्रेड युनियनों द्वारा राज्य स्तरीय आदोलन किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियनों की 12 सूत्री मागों पर सामूहिक संघर्ष जारी है और हम इन 12 मांगो की विभिन्न प्रकार के आंदोलन द्वारा प्राप्त करने के लिए आगे का प्रोग्राम निर्धारित करेंगे।

यह उपयुक्त समय है। आइए हम श्रमिक वगों के वर्तमान आंदोलन को 'समान काम के लिए समान वेतर्न के मुद्दे पर संगटित होकर और तीव्र आंदोलन करें, साथ ही अपना संघर्ष तब तक जारी रखें जब तक सभी श्रमिकों, जैसे कि अस्थायी, दैनिक श्रमिक, आकस्मिक, एडहॉक, अनुबंध श्रमिक (ठेका मजदूर) आदि को किसी भी कार्यस्थल, उद्योग व विभाग में नियमित कर्मचारियों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी के समान मजदूरी व सुविधाएं मिल सकें। साथ ही साथ स्थायी नौकरियों में कार्यरत श्रमिक के लिए रोजगार मे स्थायित्व के लिए हमारी सिद्धांतबद्ध लडाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोटे के उन निर्णयों के साथ, जो हमारी स्पष्ट भुमिका को समर्थन देते हैं व हमारी इस उचित मांग को एक हथियार जैसे इस्तेमाल करते हुए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक ताकत, उस्ताह और दृढ संकल्प के साथ हम आगे बढें!

- श्रमिक वर्ग एकता जिंदाबाद।
- अनिश्चित नोकरी वाले श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के रूप में शामिल करना हमारा लक्ष्य है।
- समान काम के लिए समान वेतन हमारा तत्काल कार्य है।
- आजीविका के अधिकार के लिए किसी भी रूप में शोषण समाप्त करने की हमारी मांग मनवाने के लिए आगे बढते रहेंगे।

'स्थायी रोजगार समाप्ति का घण्टानार्द

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम (आई एसओ):

ए) इंडियन स्टैंडिंग आर्डर में क्या संशोधन हैं ?

16 मार्च 2018 को श्रम मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित, असाधारण आई (एसओ) अधिनियम, 1946 के प्रावधानों में अनुसूची विषय 1 में संसोधन के लिए 'परिधान विनिर्माण के क्षेत्र में निश्चित अविध के रोजगार मजदूर इन सब्दों की जगह 'निश्चित अविध रोजगार' शब्द लिखे जाएं, ऐसा निर्णय किया।

उप-अनुच्छेद (2) में, निम्निलिखित उप - अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अधीन:

- i) अस्थायी श्रिमकों के मामले में रोजगार की समाप्ति की कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी चाहे वे मासिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मुल्यांकन, पीस रेटेड उम्मीदवाद मजदूर या फिर बदली मजदूर हों।
- ii) इस तरह के अनुबंध अवधि पर काम पर रखे कोई भी मजदूर को अनुबंध के गैर – नवीकरण या नवीनीरण के परिणामस्वरूप नियत अवधि के रोजगार के आधार पर व कार्यरत कोई भी मजदूर उसकी सेवा समाप्त होने पर किसी भी नोटिस या भुगतान के हकदार नहीं होगा।

एक अस्थायी कार्यकर्ता जिसने तीन महीने निरंतर सेवा पूरी की है और यदि उनके रोजगार की समाप्ति अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं हैं, तो उसे रोजगार को समाप्त करने के इरादे का दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा।

'एक अस्थायी कार्यकर्ता कार्यकर्ता जिसने तीन महीने की निरतर सेवा पूरी नहीं की है, उसे दिए गए रोजगार की अवदि पूरी होने से पहले समाप्त कर दिया गया है तो, उसे लिखित में समाप्ति के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा।'

(डी) (I) अनुसूची 1 ए में, अनुच्छेद 3 में:

- ए) उप पैराग्राफ (ए) में आइटम (iii) के बाद, निम्नलिखित आइटम डाला जाएगा, अर्थात (iiia) 'निश्चित अवदि रोजगार्र.
- बी) उप अनुच्छेद (डी॰ की बाद, निम्नलिखित उप -पैराग्राफ डाला जाएगा अर्थात: डीए) निश्चित अविध के रोजगार कर्मचारी एक ऐसे मजदूर हैं जो नियत अविद के लिए रोजगार के लिखित अनुबंध के आधार पर काम पर लगे हुए हैं।

इन संशोधनों का वास्तविक अर्थ क्या है ?

- i) 2016 से, निश्चित अवधि का रोजगार केवल परिधान (टैक्सटाईल गामेंटस हौजियरी) विनियमांण क्षेत्र तक ही सीमित था अब, इस संशोदन के कारण, सभी विनिर्माण उद्योगों में निश्चित अवधि का रोजगार लागू करवाया गया है।
- ii) नियोक्त्का द्वारा नोकरी समाप्ति की कोई सूचना देने की आवश्यक्ता नही।
- iii) अवधि रोजगार मजदूर को नोटिस अवदि के बदले में कोई

- नोटिस भूगतान देने की आवश्यकता नही।
- iv) नियोक्त्का की इच्छा के अनुसा मजदूर को हायर एंड फायर करने का अधिकार नियोक्त्का (मालिक) को दिया गया है।
- v) स्थायी रोजगार का अधिकार छीन लिया गया है।
- vi) ये संशोधन मुक्त और रोजगार पाने में बाधा उत्पन्न करेंगे, इस प्रकार रोजगार के अधिकार के लिद्धांत का उल्लंघन होता है, जो एक मौलिक अधिकार है।
- vii) भारत सरकार द्वारा नियोंकत्ताओं (मालिकों) की हमेशा की लंबित इच्छा की, कि वह जब चाहें मजदूर को काम पर रख सकतें है व जब चाहें हटा सकते हैं उसे पूरा किया जाता है।
- viii) नियत अविध के कर्मचारी रोजगार खो या अनुबंध के नवीनीकरण न होने के डर के कारण वे ट्रेड युनियनों में शामिल होने से डरते हैं, हालांकि कानूनी तौर पर वे स्वेच्छा से संघ के सदस्य बन सकते हैं। यह कई विनिर्माण उद्योगों में शुरु हुआ है।

क्या आईई (एसओ) अधिनियम में संशोदन करने से पहले भारत सरकार द्वारा सही और एक निष्पक्ष विधि / प्रक्रिया चलाई गई?

16 मार्च 2018 को प्रकाशित राजपत्र के अनुसार, सरकार का कहना है कि उसने प्रभावित होने वाले लोगों से आपित्तयों और सुझावों को 30 दिनों के भीतर आमंत्रित करने के बाद ही संशोधनों को अधिसूचित किया है और केंद्र सरकार द्वारा जनता से प्राप्त आपित्तयों या सुझावों को माना गया है। आईई (एसऔ) अधिनियम 1946 के सेक्शन 15 द्वारा प्रदान शित्तकयों के प्रयोग में उनके मूल संशोधन (आपित्तयों के बावजूद) अमल से लाएं।

भारत सरकार ने त्रि – पक्षवाद और द्विपक्षीयवाद का मजाक उडा़ग़ है। 15 फरवरी 2018 को श्रम मंद्रालय ने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले प्रस्तावित संखोधन पर सलाह लेने के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक बुलाई थी। ट्रेड यूनियनों ने पूरी तरह से इस प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने अपना असतीष लिखित रूप में भी दिया और यहां तक कि बैठक से वाकआउट बी किया। इस संशोदन का विरोद इससे अधिक मजबूती से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। फिर भी सरकार ने प्रस्ताव पारित करवा दिया।

वित्त प्रस्ताव जो 2018 के वित्तीय बजट का हिस्सा था, उसमें उपरोक्त संशोधन शामिल करा कर उसे बिना किसी चर्चा के आखरी दिन मोखिक मतदान से लोकसभा में पारित किया गया। इस प्रकार एक गैर – लैकतांत्रिक और एकतरफा काईवाई से देश के पूरे ट्रेड युनियन आंदोलन द्वारा दर्शाए गए विरोध के बावजुद फिक्सड टर्म एम्प्लॉयमेंट पास कराकर भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं (मालिकों) की मांग को पूरा किया गया था।

'क्या करना है ?'

यह विस्फोटत स्थिति सरकार द्वाा श्रिमिक विरोधी कदमों की श्रंख़ला के बाद पैदा हुई थी जो वेतन, औद्योगिक संबध, समाजिक सुरक्षा, काम की जगह पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लेबर कोड बनाने से शुरु किए गये जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों के मौजूदा अधिकारों को छीना गया – युनियन बनाने का अधिकार, हडताल करने अधिकार, रोजगार की स्थायितता का अधिकार, खुली और निष्पक्ष चर्चा और सामूद्रिक सौदेबाजी, कारखाना बंद होने और लॉक – आउट आदि के किलाप सुरक्षा आदि। एक तरफ संगठित श्रिमकों के अधिकारों को छीनने का प्रयास जारी है। वहीं असंगठित / अनोपचारिक क्षेत्र का एक बहुत बडा़ हिस्सा है, जहां मजदूर वर्ग की परिस्थितियां हर साल बदत्तर हो रही हैं, जिन की तरफ न किसी का ध्यान हैन उन्हें कोई संरक्षण दे रहा है।

यह समय है कि भारत के पूरे मजदूर वर्ग आंदोलन द्वारा इस महत्वपूर्ण परिस्थिति में मोदी सरकार की इन मजदूर वर्ग विरोधी चालों का बहादुरी से विरोध किया आए और सरकार के आपत्तिजनक कदमों को रोकने और उलटने के लिए मजबूत और जुझारु परिणामकारी आंदोलन चलाया जाए।

- जीत हासित होने तक आगे बढते रहो।
- मजदूर एकता जिंदाबाद।
- एआइटीयुसी जिंदाबाद।

BPBEA'S SOCIAL ACTIVITY

BPBEA'S Scholarship To Needy Studednts

Since 2006 Bengal Provincial Bank Employees Association is providing ten scholarships to the poor but meritorious students for pursuing graduation in any stream every year. These ten scholarships are given in the name of the illustrious union leader of banking industry. This year, on the 15th year, scholarships were given in a simple function on 23 December 2020 at the BPBFA office.



Com. Rajen Nagar, President, AIBEA, General Secretary, BPBEA handing over the cheque to Shri Samrat Halder, student of Statistics Honours



To Shri Bhaktram Naiya who is studying Zoology Honours at undergraduate level



Ms. Smriti Sinha, student of Accountancy (Honours) receiving the cheque from Com. Pabitra Chaterjee, Vice President, BPBEA



Com Kingshuk Bhattacharyya, Secretary, BPBEA handing over the cheque to Ms. Neharani Mal, student of B.A.



Ms. Saheli Sardar, student of BA receiving the cheque from Com. Rakhal Das, Treasurer, BPBEA



Com. Sanjit Chatterjee, Asstt. Treasurer, BPBEA handing over the chque to Ms. Sangita Debbarman, student of Bengali (Honours)at undergraduate level



ALL INDIA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION LALBAZAR STREET

Published by Shri Kamal Kumar Bhattacharyya on behalf of All India Bank Employees Association, 3b Lal Bazar Street, Kolkata-700001 & E-Journal by Wings Media, www.wingsmedia.co.in ● Editor − Shri Kamal Kumar Bhattacharyya.

ဥ